

प्रेषक,

आयुक्त,
गढ़वाल मण्डल
पौड़ी।

प्रेष्य,

जिला अधिकारी
उत्तरकाशी।

संख्या:- 101 /ओसंवि०/जि०यो०-बजट/2011-12

दिनांक: 02

मार्च-2012
दिसम्बर-2011.

विषय:-

जनपद उत्तरकाशी में जिला योजना वर्ष 2011-12 के अन्तर्गत पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम की
रु० 50.00 लाख से अधिक लागत की योजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।

महोदय,

जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्र संख्या 4506/जि०यो० बजट/स्वीकृति 2011-12/104 दिनांक 11 नवम्बर 2011 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव/संस्तुति के क्रम में शासनादेश संख्या 624/रा०यो०आ०/जि०यो०/मु०स०/2008 दिनांक 24.08.2008 के क्रम में दी गयी व्यवस्था के अनुसार मण्डलीय तकनीकी समिति के परीक्षणोपरान्त पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम उत्तरकाशी की निम्न योजना के सम्मुख कॉलम 3 एवं 4 में अंकित विवरण के अनुसार एतद्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

क्र.स.	योजना का नाम	योजना की प्रस्तावित लागत (लाख में)	मण्डलीय तकनीकी समिति के परीक्षणोपरान्त प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति (लाख रु०)	वर्ष 2011-12 हेतु प्रदत्त वित्तीय स्वीकृति (लाख रु०)
1	2	3	4	5
1	स्यालव सुकन पेयजल योजना विकासखण्ड नौगांव	99.27	99.27	4.00

- उक्त धनराशि का व्यय स्वीकृत कार्यों पर ही किया जाय तथा स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय स्वीकृति की प्रत्याशा में कदापि नहीं किया जाय।
- शासनादेश संख्या 495/उन्तीस (2)11-2 (03 पे०)/2011 दिनांक 19-04-2011 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाय।
- जिला योजना के अन्तर्गत उपलब्ध आवंटन का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जाय तथा व्यय को आवंटित धनराशि तक ही सीमित रखा जाय।
- कार्य की गुणवत्ता हेतु कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।
- उक्त व्यय को करते समय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/ निर्देशों तथा बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाय।
- किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार कय प्रक्रिया वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिष्ठादन निग्रह संग्रह खण्ड-5 भाग-1 आय-व्यय सम्बन्धित नियम(बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम/शासनादेश आदि का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।